निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 55 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की के माह फरवरी 2016 से अक्तूबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सर्व श्री मनोज कुमार नेगी, अक्षय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों, श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13-11-2017 से 20-11-2017 तक किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सर्व एस. एस. दरियाल एवं अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18-02-2016 से 25-02-2016 श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अक्तूबर 2013 से जनवरी 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह फरवरी 2016 से अक्तूबर 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलाप:-

सिंचाई नहरों का अनुरक्षण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

विकास खंड भगवानपुर, रुड़की, नारसन।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	--	332	240.11	3383.80	2212.39	--	--
2015-16	--	--	300	279.21	1901.08	1603.57	--	--
2016-17	--	--	332	281.93	690.69	675.88	--	--
2017-18 (माह 10/ 2017 तक)	--	--	473	217.28	172.60	95.08	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	1. एफ0 एम0 पी0 (जी0 एफ0 सी0 सी0) 2. सी0 एस0 एस0 (आर0) 3. ए0 आई0 बी0 पी0	--- --- ---	1611.21 1203.45 8.539	658.70 1066.92 0.97	--- --- ---	952.47 (सम पत) 136.53 (सम पत) 7.569 (सम पत)
2015-16	1. एफ0 एम0 पी0 (जी0 एफ0 सी0 सी0) 2. सी0 एस0 एस0 (आर0) 3. ए0 आई0 बी0 पी0	--- --- ---	952.47 120.00 7.569	690.97 120.00 7.569	--- --- ---	261.90 (सम पत) -- ---
2016-17	1. एफ0 एम0 पी0 (जी0 एफ0 सी0 सी0) 2. सी0 एस0 एस0 (आर0) 3. ए0 आई0 बी0 पी0	--- --- ---	-- 120.00 --	-- 120.00 --	--- --- ---	--- --- ---
2017-18 (अक्टूबर 2017)	1. एफ0 एम0 पी0 (जी0 एफ0 सी0 सी0) 2. सी0 एस0 एस0 (आर0) 3. ए0 आई0 बी0 पी0	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर, केंद्र सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

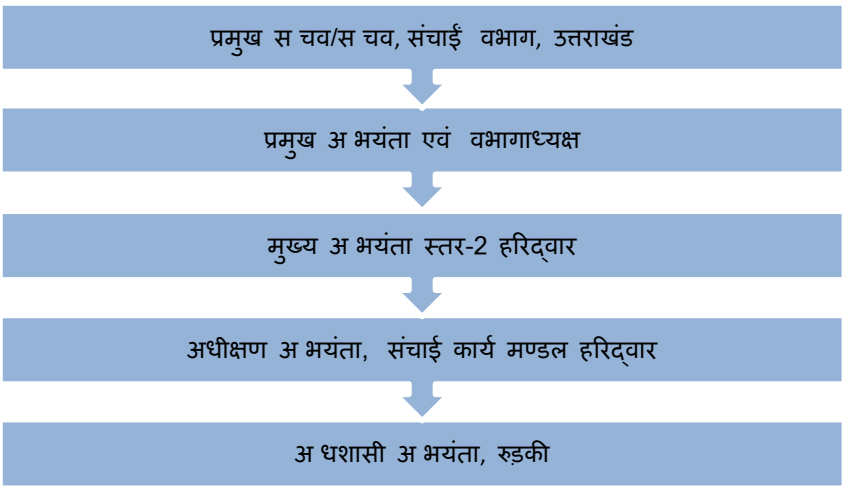

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की के माह फरवरी 2016 से अक्तूबर 2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय

अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं जुलाई 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद हरिद्वार के नारसन विकास खंड में देवबंद ब्रांच पर 52.50 किमी0 गूलों को पक्का करने की योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 25 अक्तूबर 2017 को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह अक्तूबर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` (-) 10659970

भाग द्वितीय ` शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` शून्य

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 6173592

(ङ) भण्डार ` शून्य

भाग–2 'ब'

प्रस्तर : 1– भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ किया जाना।

वित्तीय नियम प्रावधानित करते हैं कि सक्षम उत्तरदायी अधिकारी द्वारा भूमि को हस्तांतरित किये बिना उस पर कोई कार्य न करवाया जाय।

जनपद हरिद्वार में सोलानी नदी के दोनों तटों पर बसे ग्रामों रामपुर, इब्राहिमपुर, सोलानीपुरम, जमालपुर आदि की आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु रीवर ट्रेचिंग कार्यों (तटबन्ध एवं स्टड निर्माण) की योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपोषित बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ` 3319.49 लाख पर दिनांक 24 जनवरी 2014 द्वारा प्रदान की गई थी। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) द्वारा समान लागत ` 3319.49 लाख पर दिनांक 31 जनवरी 2014 द्वारा प्रदान की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाईं खण्ड, रूड़की (हरिद्वार) के अभिलेखों की नमूना जॉच में देखा गया कि कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किए बिना ही ठेकेदार के साथ अनुबन्ध गठित किया गया (मार्च 2015) जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ व समापन तिथियां क्रमशः 04–03–2014 व 03–03–2015 थी। अभिलेखों की अग्रेतर जॉच में देखा गया कि कार्य विभिन्न कारणों जैसे– खनन बन्द होने, बोल्डर की अनुपलब्धता, बजट की अनुपलब्धता, किसानों द्वारा भूमि विवाद एवं योजना कार्यक्षेत्र सैन्य छावनी फायरिंग जोन के निकट होने के कारण को इंगित करते हुए पूर्ण न होना अभिलेखित किया गया था और ठेकेदार को बार–बार समयवृद्धि प्रदान किए जाने के बावजूद भी कार्य निर्धारित समयावधि मार्च 2015 से दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी संपादित नहीं किया जा सका था।

अभिलेखों की छान–बीन में यह भी देखा गया कि योजनान्तर्गत 10.57 हैक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था जो कि कार्य प्रारम्भ के तीन वर्ष से अधिक समय व कार्य समापन हेतु निर्धारित समय से दो वर्ष बाद भी अधिगृहीत नहीं की जा सकी थी और संप्रेक्षावधि तक आंशिक कार्यों के संपादन पर ` 4.03 करोड़ का व्यय किया जा सका था।

संप्रेक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि योजना के गठन के समय भूअर्जन अधिनियम, 2015 लागू नहीं हुआ था जिसके कारण योजना में मात्र सर्किल रेट लगाया गया था। कार्य प्रारम्भ होने पर किसानों द्वारा भू–अर्जन अधिनियम के अनुसार धन की मॉग की गई जिसके कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्य हेतु निर्धारित भूमि का अधिग्रहण कार्य प्रारम्भ के तीन वर्ष से अधिक समय बाद भी नहीं किया जा सका था जबकि कार्य समाप्ति अवधि कार्य प्रारम्भ के एक वर्ष बाद थी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर:1- धनाभाव के कारण कार्यों को पूर्ण न कया जाना।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड रुड़की के अ भलेखों की जाँच में देखा गया क:-

(1). दैवीय आपदा/सी.एस.एस मद के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के वकास खण्ड भगवानपुर मे ग्राम छग्गा माजरी की सोनाली नदी से कटाव सुरक्षा योजना हेतु `12.49 करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति दिनांक 14 मार्च 2014 को प्रदान की गयी थी,जिसके सापेक्ष `12.36 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अ भयंता (गढ़वाल) द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2014 को प्रदान की गयी थी। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30–05–2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 29.05.2015 निर्धारित की गई थी **जिसमे एक बार कार्य समाप्ति हेतु 6 माह की समयवृद् ध देते हुए** कार्य समाप्ति की तिथि 29.11.2015 निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2017)तक कार्य पर कुल रू0 **5.60 करोड़** व्यय किए जा चुके थे तथा कार्य **अपूर्ण** था।

(2). नाबार्ड के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के नारसन विकास खण्ड में देवबन्द ब्रांच पर 52.50 किमी0 फील्ड गूलों के निर्माण की योजना की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16 जनवरी 2015 के द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता गढ़वाल द्वारा ` 962.54 लाख की तकनीकी स्वीकृति पत्रांकः– 3490/मु0अ0/गढ़वाल/ई–33 (प्राक्कलन) दिनांक 25 मई 2015 के द्वारा प्रदान की गई थी।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 03–06–2015 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28–03–2017 निर्धारित की गई थी परन्तु माह अक्टूबर 2017 तक कार्य प्रगति पर था। अभिलेखों के अनुसार माह अक्टूबर 2017 तक आगणित धनराशि ` 962.54 लाख के सापेक्ष ` 693.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी तथा ` 67800254 व्यय किए जा चुके थे।

संप्रेक्षा में कार्यों का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उठाए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि धन आवंटन नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका और नाबार्ड द्वारा अवशेष धन आवंटन उपरान्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगें।

अतः धनाभाव के कारण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब
1.	48/2008-09	--	1
2.	39/2013-14	--	1
3.	110/2015-16	--	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-v

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री विकास श्रीवास्तव	अधिशासी अभियंता
(ii)	श्री नवीन सिंघल	अधिशासी अभियंता
(iii)	श्री आर0 के0 तिवारी	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री राजीव गोयल
   (ii) श्री डी0 एस0 रावत
   (iii) श्री राजीव गोयल

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाईं खण्ड, रुड़की** को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II